

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक-सम्ब0 / 154/2025

(नवीनीकरण-पत्र)

दिनांक 28/05/2025

सचिव / प्रबन्धक,

राजवीर सिंह सिकरवार कालेज,

सैदपुर, बल्देव, मथुरा। (कालेज कोड-840)

विषय:- महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षक नियुक्ति (अनुबंधित) के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,


कृपया उक्त विषय आप अपने पत्र संख्या... शहि... .. दिनांक... 21.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शित पद पर नियुक्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति महोदय ने अपना सशर्त अनुमोदन सहर्ष प्रदान कर दिया है, यह नियुक्ति शासनादेश संख्या-2243/सत्तर-2-(25)/97 दिनांक 09.05.2000 के अधीन की गयी है एवं शासनादेश संख्या-392/सत्तर-2-2018-18(31)/2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के अनुपालन में शिक्षकों का अनुमोदन पौंच वर्ष के लिये स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के रूप में किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय द्वारा नवीनीकृत शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, पद भार ग्रहण एवं अनुबंध पत्र सम्बद्धन विभाग में प्रेषित करना अनिवार्य है।

क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पद	विषय	स्तर
1.	डा0 अमर बहादुर वर्मा	प्रवक्ता	विभागाध्यक्ष	स्नातक स्तर
2.	श्रीमती मिथलेश यादव	प्रवक्ता	इतिहास	स्नातक स्तर
3.	श्री विनोद कुमार	प्रवक्ता	राजनीतिशास्त्र	स्नातक स्तर
4.	श्री अनिल कुमार	प्रवक्ता	भूगोल	स्नातक स्तर
5.	श्री धमेश कुमार	प्रवक्ता	अंग्रेजी	स्नातक स्तर
6.	श्री यासीन खॉन	प्रवक्ता	गणित	स्नातक स्तर
7.	मो0 अशलम	प्रवक्ता	मनोविज्ञान	स्नातक स्तर
8.	श्री सूर्य नारायण सिंह	प्रवक्ता	हिन्दी	स्नातक स्तर
9.	श्री दिवाकर सिंह	प्रवक्ता	रसायन विज्ञान	स्नातक स्तर
10.	श्री शैलेन्द्र कुमार	प्रवक्ता	शिक्षाशास्त्र	स्नातक स्तर
11.	श्री गम्भीर सिंह	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	स्नातक स्तर
12.	श्री मुस्ताक अली	प्रवक्ता	चित्रकला	स्नातक स्तर
13.	श्री नीरज गंगानी	प्रवक्ता	संगीत	स्नातक स्तर
14.	श्री अनुज कुमार	प्रवक्ता	शारीरिक शिक्षा	स्नातक स्तर

नोट:- प्रबन्धक/सचिव द्वारा शिक्षक नवीनीकरण हेतु प्रेषित पत्राजात में यदि कोई असत्यता पायी जाती है अथवा अन्य किसी संस्था में अनुमोदन पाया जाता है तो अनुमोदन किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

भवदीय


उप-कुलसचिव
